

इसे वेबसाईट [www.govtpressmp.nic.in](http://www.govtpressmp.nic.in) से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



# मध्यप्रदेश राजपत्र

## ( असाधारण )

### प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 414]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 6 सितम्बर 2011—भाद्र 15, शक 1933

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. 4213-304-इक्कीस-अ-(प्रा.).—मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 27 अगस्त 2011 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ३२ सन् २०११

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०११.

[ दिनांक २७ अगस्त, २०११ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई, अनुमति "मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण )" में दिनांक ६ सितम्बर, २०११ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम .

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, २०११ है.

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन होने की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ११-ख का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश कृषि-उपज मंडी अधिनियम, १९७२ (क्रमांक २४ सन् १९७३) की धारा ११-ख में, उपधारा (१) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

“(क) जिसका नाम ग्राम के भू-अभिलेखों में भूमिस्वामी के रूप में प्रविष्ट है या जिसने अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, २००६ (२००७ का २) की धारा ३ की उपधारा (१) के खण्ड (क) के अधीन वन अधिकार अर्जित कर लिए हैं;”.

भोपाल, दिनांक 6 सितम्बर 2011

क्र. 4214-304-इक्कीस-अ-(प्रा.).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 2011 (क्रमांक 32 सन् 2011) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,  
राजेश यादव, अपर सचिव.

MADHYA PRADESH ACT  
No. 32 OF 2011.

**THE MADHYA PRADESH KRISHI UPAJ MANDI (DWITIYA SANSHODHAN)  
ADHINIYAM, 2011.**

[Received the assent of the Governor on the 27th August, 2011; assent first published in the “Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary)”, dated the 6th September, 2011].

**An Act further to amend the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972.**

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Sixty-second year of the Republic of India as follows :—

Short title and Commencement.

1. (1) This Act may be called the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi (Dwitiya Sanshodhan) Adhiniyam, 2011.

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 11-B.

2. In Section 11-B of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973), in sub-section (1), for clause (a), the following clause shall be substituted namely :—

“(a) Whose name is entered as Bhumiswami in the village land records or who has acquired forest right under clause (a) of sub-section (1) of Section 3 of the Scheduled Tribes and Other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (No. 2 of 2007);”.